महाराष्ट्र राज्य व अन्य

बनाम

उत्तम विष्णु पंवार

(सी.ए. सं. 1021 वर्ष 2002)

17 जनवरी, 2008

(ए. के. माथुर व एच. एस. बेदी, जे.जे.)

सेवा कानूनः

समयबद्व पदोन्नति- महाराष्ट् सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांकित 08.06.1995- समयबद्व पदोन्नति के लिए 12 वर्ष की अवधि प्रदान करता है- पदधारी का उनके द्वारा पूर्व विभाग में प्रदान की गई सेवा को नये विभाग की सेवा में शामिल कर, सेवा अवधि गणना किए जाने हेतु दावा- अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा सही स्वीकृति दी गई।

द्विजेन चन्द्र सरकार व अन्य बनाम भारतसंघ व अन्य (1999) 2 SCC 119, रक्षामंत्री बनाम वी.एम. जोसफ (1998) 5 SCC 383, ए.पी. राज्य विधुत बोर्ड बनाम आर. पार्थसार्थी (1998) 9 SCC 425, भारतसंघ बनाम वी.एन. भाट (2004) AIR SCw 1399 पर निर्भर रहे।

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1021 वर्ष 2002.

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी संख्या 5494/2000 में पारित अन्तिम निर्णय व आदेश दिनांकित 20.10.2000

सहित

सी.ए. संख्या 515 व 518 वर्ष 2008, 2917 व 3083 वर्ष 2006.

आशा जी. नायर, मुकेश के. गिरी(एन.पी) व अनिरुद्ध पी. माये- अपीलार्थियो की ओर से।

सुशील करंजकर, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, वी. डी. भावसार, चन्द्रशेखर अशरी, एस.डी. सिंह, विजय कुमार तथा विश्वजीतसिंह- प्रत्यार्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गयेः

आदेश

1. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. एस.एल.पी.(सी) संख्या 20630/2006 में कारित देरी को क्षमा किया गया।

3. विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

4. इन सभी अपीलो में विधि के समान प्रश्न सम्मिलित होने से इन्हें एक साथ संयोजित किया जाकर, उक्त समस्त अपीलो का निस्तारण सामान्य आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

5. इन अपीलो के निस्तारण हेतु सी.ए. संख्या 1021/2002(महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम उत्तम विष्णु पंवार) में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया।

6. प्रत्यार्थी उत्तम विष्णु पंवार के द्वारा महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुम्बई के समक्ष मूल आवेदन संख्या 930/999 प्रस्तुत कर, यह दिशा निर्देश चाहे गये कि सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांकित 08.06.1995 के आधार पर प्रत्यार्थी द्वारा उनके पूर्व विभाग में प्रदान की गयी सेवाओं को, समयबद्ध पदोन्न्ति हेतु 12 वर्ष की सेवा की अवधि में शामिल कर प्रत्यार्थी की कुल सेवा की गणना की जावे। न्यायाधिकरण द्वारा आदेश दिनांकित 14.03.2000 में प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को स्वीकार कर यह प्रतिपादित किया गया कि पदधारी के द्वारा जो सेवाए पूर्व विभाग ने प्रदान की गयी थी, उक्त सेवाओ को समयबद्ध पदोन्नति हेतु 12 वर्ष की सेवा अवधि में जोड़ा जाकर गणना की जाएगी। इस प्रकरण के अपीलार्थी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई।

बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के द्वारा दोनों पक्षकारो को सुना जाकर न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14.03.2000 की पुष्टि की गई।

7. यह कि प्रत्यार्थी महाराष्ट्र राज्य के सिंचाई विभाग में टेलीकोम ऑपरेटर के रुप में कार्यरत थे। जिसके पश्चात उनके द्वारा उनका स्थानान्तरण मुम्बई क्षेत्र से कोल्हापुर क्षेत्र में किये जाने हेतु आवेदन किया गया। प्रत्यार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर उनका स्वैच्छिक मुम्बई क्षेत्र से कोल्हापुर क्षेत्र स्थानान्तरण कर दिया गया, जहां उनकी मुम्बई क्षेत्र की वरियता का लोप हो, उनके द्वारा शून्य वरियता पर कनिष्ट लिपिक के पद पर कोल्हापुर क्षेत्र पर दिनांक 14.06.1990 को कार्यभार ग्रहण किया गया। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा लम्बे समय से ग्रुप सी व डी वर्गो में स्थिर रहने वाले व्यक्तियों को समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक 08.06.1995 को प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार वह व्यक्ति जिनके द्वारा 12 वर्ष के सेवाओ का कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो तथा जिनके द्वारा उक्त प्रस्ताव में अंकित अन्य शर्तो की पूर्ति की जा रही हो, उक्त व्यक्ति अगले उच्च वेतनमान हेतु पात्र माने जाते। हमें प्रस्ताव दिनांकित 08.06.1995 में निर्धारित अन्य शर्तो के संबंध में कोई सरोकार नहीं है। हमारा चिंतन केवल मात्र इस सीमित प्रश्न से संबंधित है कि क्या जब प्रत्यार्थी को मुम्बई क्षेत्र से कोल्हापुर क्षेत्र में स्थानान्तरित

किया गया था, उस समय उनके द्वारा प्रदान की गयी मुम्बई क्षेत्र की सेवाओ को 12 वर्ष की सेवा अवधि में जोडा जा सकता है, जिससे प्रत्यार्थी प्रस्ताव के परिलाभ प्राप्त कर सके। न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यार्थी द्वारा प्रदान की गई पूर्व सेवाओ का लाभ प्रत्यार्थी को दिया गया तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की गई।

8. महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह निवेदन किया गया कि चूंकि पदधारी कोल्हापुर क्षेत्र में शून्य वरियता पर कार्यरत था, जिससे उसे दिनांक 08.06.1995 को पारित प्रस्ताव के अनुसार समयबद्ध पदोन्नति का लाभ दिये जाने हेतु, उसके द्वारा मुम्बई क्षेत्र मे प्रदान की गई सेवाओ को, 12 वर्ष की सेवाओ की अवधि में जोडा जाकर गणना नहीं की जा सकती।

9. इसके विपरित प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पदधारी की वरियता का पूर्व में लोप हो गया तथा स्थानान्तण आदेश के अनुसार उसके द्वारा शून्य वरियता पर कार्यभार ग्रहण किया गया, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्यार्थी द्वारा मुम्बई क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाए लुप्त हो जाएगी। प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय के अन्य प्रकरणो की श्रृंखला की ओर आकर्षित किया गया, जहां यह दृष्टिकोण अपनाया गया था

कि जहां किसी पदधारी का स्थानान्तरण लोकहित में या स्वयं के अनुरोध पर किसी अन्य क्षेत्र में कर दिया जाता है तो किसी भी परिस्थिति में पदधारी को उसके द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवाओ का लाभ उसके वरियता का लाभ दिये बिना प्रदान किया जायेगा। इसी संबंध में हमारा ध्यान प्रकरण द्विजन चंद्रशेखर व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (1999) 2 SCC 119 की ओर आकर्षित किया गया। उक्त प्रकरण में पदधारी का स्थानान्तरण लोकहित में पूनर्वास विभाग से पी एण्ड टी विभाग में शून्य स्तर की वरियता पर कर दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सेवाओ को उन्हें योजनाओ का लाभ देने के लिए उनकी 16 वर्ष की सेवाकाल की अवधि में जोडा गया था। उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा उनके द्वारा पारित पूर्व निर्णय रेणु मलिक बनाम भारत संघ (1994)1 SCC 373 का उल्लेख किया गया, जहां समान स्थिति में स्थानान्तरित को उनकी नये पद पर वरियता के परिप्रेक्ष्य में, उनके द्वारा पूर्व में कलेक्ट्री पर प्रदान की गई सेवाओ की गणना किये जाने हेतु अनुमत नहीं किया गया, परन्तु वरियता के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्थानान्तरित की पूर्व में कलेक्ट्री पर प्रदान की गई सेवाओ को जोडे जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई। इसी प्रकार से अन्य प्रकरण रक्षामंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बनाम वी.एम. जोसफ (1998) 5 SCC 305 में इस न्यायायलय द्वारा यह अभिनिर्णित किया गया कि अन्य विभाग में प्रदान की गई सेवाओ की

गणना, पदोन्नति हेतु पात्रता के निर्धारण हेतु सहायक होगी अपितु वरियता हेतु नहीं। पुनः ए. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पार्थसारथी (1998) 9 SCC 425 के प्रकरण में राजकीय कर्मचारी का स्थानान्तरण कर विद्युत बोर्ड में अवशोषित किया गया। यह अभिनिर्णित किया गया कि पदोन्नति हेतु पात्रता के लिये वांछित 10 वर्ष के अनुभव में पूर्व विभाग मेंे प्रदान की गई सेवाओ की गणना की जा सकती है। हमारा ध्यान भारत संघ बनाम वी.एम. भाट 2004 AIR SCC 1399 की ओर भी आकर्षित किया गया। इस प्रकरण में भी समान स्थिति में पदधारी को एक विभाग से अन्य विभाग में स्थानान्तरित किया गया, जहां नये विभाग में उनकी पूर्व वरियता लुप्त हो गई, परन्तु उनकी सेवाओं की पदोन्नति के प्रयोजन से गणना की गई। अतः इस प्रकार से इस न्यायालय के निरन्तर दृष्टिकोण से यह विषय अनिर्णित नहीं है कि पदधारी के नये विभाग में स्थानान्तरित होने पर, उन्हें वरियता प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उनकी पूर्व प्रदान सेवाओ के अनुभव की गणना, सरकारी योजनाओ के अनुसार पदोन्न्ति व उच्च वेतनमान जैसे प्रयोजनो हेतु की जाएगी।

10. इस दृष्टिकोण से मामले में हमारी राय यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा पुष्टि किये गये उक्त दृष्टिकोण सही है तथा उच्च न्यायालय के उक्त विवादित निर्णय तथा आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं

है। परिणामस्वरुप अपील खारिज की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

सी.ए. सं. 515/2008 (एस.एल.पी. (सी) 12097/2006 से उत्पन्न)

सी.ए. सं. 3083/2006, सी.ए. सं. 2917/2006 और

सी.ए. सं. 518/2008 (एस. एल. पी. (सी) 20630/2006 से उत्पन्न)

11. उपरोक्त वर्णित कारणों से उक्त अपीले भी खारिज की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी भंवरलाल बुगालिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।